233/16 मांगीलाल बनाम चतराराम वगैरा।

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.पं. नाकोड़ा में पेश हुई। वादी मय वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 स्वयं उपस्थित। हल्का पटवारी सिणधरी पश्चात हल्का पटवारी सिणधरी श्री विष्णु प्रजापत द्वारा की गई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 10 उपस्थित। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा की इबारत पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया और राजीनामा को स्वीकार किया गया। उक्त राजीनामा पक्षकारान ने मन्जूर/ हस्ताक्षर किये गये। जो तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार सिणधरी से विवादित भूमि की रिपोर्ट तलब कर शामिल मिसल की गई। वादी एवं प्रतिवादी अमेदाराम व नाथाराम, एवं पोकाराम, मानाराम, ओकाराम पिसराज, रूपाराम एवं चतराराम, बीच्छाराम, गोरखाराम, शाहिगाराम पिसराज रावताराम के संयुक्त बयानात कलमबद्ध कर शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 से 9 ने स्वीकार किया कि मुतवफी रावताराम के पास भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है और रावताराम के फौत होने के लगभग 1 माह बाद जन्म हुआ था और	मांगीलाल (हस्ताक्षर) चतराराम गोरख (हस्ताक्षर) पोकाराम (पोलाराम) सरपंच ग्राम पंचायत-नाकोड़ा सिणधरी / बाड़मेर — अ.नि. मानाराम पोकाराम नाथाराम उमेदाराम (हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

विवादित भूमि का नामान्तकरण पारित जमाबन्दी पूर्व होने के कारण नाम दर्ज नहीं हो सका। जो अब प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम वादी का नाम दर्ज किया जाता है। तो इस प्रतिवादीगण सहमत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के संलग्न साक्ष्य रिकार्ड, दस्तावेजात, साक्षीनामा एवं बयानात, मौका रिपोर्ट का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। विवेचने पाया कि मृतकी रावतराम के वारिसान में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है। मृतकी रावतराम की फौत होने के लगभग 01 माह पूर्व वादी का जन्म हुआ। इस कारण फौतगी नामान्तकरण पूर्व में पारित होने के कारण नाम दर्ज नहीं हो सका। चूंकि प्रतिवादी संख्या 01 से 4 ने अपने संयुक्त बयानात में स्वीकार किया है, कि वादी उनका सगा भाई है उसका विवादित भूमि में हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन हमारे पिता रावतराम के फौत होने पर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

233/16 मांगीलाल vs चेतनराम वगैरा

मरे गये विरासत के नामान्तकरण में वादी का नाम दर्ज होने से रह गया था, क्योंकि वादी का जन्म पिता के फौत होने के लगभग 01 माह बाद हुआ था। अविवादित भूमि में नाम दर्ज किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में संघ प्रतिवादी संख्या 5 से 7 व प्रतिवादी संख्या 8 एवं 9 ने अपने 2 सम्बन्ध बयानों में उक्त तथ्यों की ताईद की है। तहसीलदार सिणधरी ने भी वादी को रावतराम का वारिस माना है। एवं विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा भी पेश हो चुका है। मौके पर भी पूछताछ करने पर पाया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 सगे भाई है और मृतक रावतराम के वारिसान है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट साबित है कि विवादित भूमि पुश्तैनी है। जो वक्त सेटलमेन्ट भया, हुकमा पि० पेमा कौम कलबी के नाम दर्ज हुई थी वादी के पिता रावतराम जयराम का वारिसान है, और रावतराम के फौत होने खातेदारी अधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को प्राप्त हुए। लेकिन वादी का नाम वक्त नामान्तकरण दर्ज होने से छूट गया। चूंकि

नम्बर व अहकाम व मुकदमा की ता जारी हुए

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

वादी विवादित भूमि में नाम दर्ज करवाने का हकदार है। और प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने नाम वादी का दर्ज किये जाने हेतु रजामंद भी है। जो वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सह-खातेदार घोषित होना का हकदार है।

लिहाजा वादी का वाद स्वत्व लोक अदालत की भावना को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम नाकोड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 77, 146, 147, 187 कुल रकबा 196-00 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम सहखातेदार घोषित किया जाता है। शेष बदस्तूर रहेगा। तह- सिणधरी तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तदनुसार डिक्री पत्र जारी हो।

आदेश आज दिनांक 19.6.18 को मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

~~सहायक~~ कलक्टर
(S.D.O.) सिणधरी

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–5

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायलय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(लोक अदालत / केम्प कोर्ट) अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.नाकोड़ा

पीठासीन अधिकारीः–...श्री अंजुम ताहिर सम्मा,आर.ए.एस.

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मांगीलाल पुत्र रावताराम जाति मेधवाल निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.चतराराम 2.बीजाराम 3.गोरखाराम 4.राहिंगाराम पिसरान रावताराम 5.पोलाराम 6.मानाराम 7.चौथाराम पिसरान रूपाराम 8.उम्मेदाराम 9.ताजाराम पिसरान हुकमाराम जाति मेधवाल निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 10.तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः–88,40,91,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :–233 / 2016 निर्णय दिनांक :–19.6.2018

वादी की ओर से स्वंय वादी मय अधिवक्ता श्री दलाराम चौधरी उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 स्वंय उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19.6.2018 को श्री अंजुम ताहिर सम्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः–वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम नाकोड़ा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 77,146,147,187 कुल रकबा 196 बीधा भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 01 सें 4 के साथ सहखातेदार धोषित किया जाता है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 19-6-2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner